उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कालूलाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार सा०

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र नं० 40/2023 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
15/06/2023	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/07/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	
05/07/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की बाद तामील प्राप्त ने वा. का. की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा। न्यायालय में उपस्थित हो पत्रावली में पत्थरगढ़ी करने में सहमति व्यक्त की तथा पत्रावली में No-objection प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते बहस व आदेश प्रा० पत्र धारा -128 दिनांक 13/07/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) S.D.O	No objection (हस्ताक्षर) T.DR
13/07/2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा-128 पर बहस सुनाई। [illegible] गया। पत्रावली का अवलोकन [illegible] मे शामिल दस्तावेजो का [illegible]। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करना चाहता है तथा पैरोकार सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली में प्रार्थी का प्रा.पत्र. धारा -128	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार योग्य पाया जाता है, अत: प्रार्थी का
प्रा०पत्र धारा-128 बावत पत्थरगढ़ी का
स्वीकार किया जाता है। पत्थरगढ़ी का आदेश/
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय
के इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested